

6. आवंटित की गयी राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाए। अपरिहार्य कारणवश राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाए। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण- पत्र के साथ जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, मधेपुरा को भी दी जाए।
7. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्यशीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
8. राशि की निकासी पश्चात् सहायक जिला प्रबंधक, मधेपुरा से अभिश्रव प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी के आदेश से राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक :-.....427...../ आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक -.....24-09-2013.....

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक जिला प्रबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/9/13

जिला पदाधिकारी

10.9.13
मधेपुरा।

**समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)**

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 07/आ0 प्र0 दिनांक -16.05.2013 के द्वारा वर्तमान वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत - उपमुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति, विपत्र कोड एन0- 2245021010002 के अन्तर्गत मो0- 40,00,000/- (चालीस लाख) रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे संगत वित्तीय एवं विभागीय प्रावधान के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित किया जाता है:-

क्र0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम/पदनाम	पूर्व उपावंटित	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
01	जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा	शून्य	40,00,000/-	40,00,000/-

(मो0 -चालीस लाख) रू0 मात्र

उपावंटन की शर्तें :-

- उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाए, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है, किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाए, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
- इस उपावंटित राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- उप मुख्यशीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष- 101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति, विपत्र कोड-2245021010002 मद में उपावंटित राशि से विकलनीय होगा।
- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जा रही है।
- उपावंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :-
लघुशीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत
उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति
मांग संख्या-39 यूनिट कोड-2103 आहार/पथ्य
- यदि उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण 15.03.2014 तक निश्चित रूप से कर दिया जाए, नहीं तो सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखा जाए।